बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–15.05.2026

संचिका संख्या–03/आ01–90/2011.1/417680/ जनता दरबार में समर्पित परिवाद संख्या–1204104093 की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया तथा पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–580 दिनांक 28.04.2011 द्वारा निगरानी जाँच सं.–टी.–12/10, शिक्षा, सुपौल का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए सूचित किया गया कि सरकारी अधिसूचना की अनदेखी एवं नियम विरूद्ध तरीके से वित्तीय अनियमितता करते हुए शिक्षकों का स्थानान्तरण स्वार्थसिद्धि के लिए किया गया गया है। शिक्षा सेवा के 1. श्री श्याम नारायण कुवर, अध्यक्ष प्रमंडलीय स्थापना कोशी (तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक, सहरसा) 2. श्री महेद्र प्रसाद सिंह, समिति सदस्य जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा 3. श्री अवधेश कुमार सिंह, समिति सदस्य, शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा 4. श्री रामाशीष महतो समिति सदस्य, शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल, 5. श्रीमती ज्योति दास, समिति सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षिका सहरसा, 6. श्री नयन रंजन वर्मा, समिति सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा (कुल 06 पदाधिकारी) को इसके लिए दोषी पाया गया। ब्यूरो द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर इसकी सूचना सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को देते हुए एक प्रति उसे भी उपलब्ध करायी जाय।

2. पुलिस अधीक्षक के पत्रांक–844 दिनांक 10.06.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु साक्ष्य सहित कागजातों की पठनीय प्रति आवश्यक कार्यार्थ उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त पत्र के आलोक में सभी 6 पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन किया गया।

3. श्री रामाशीष महतो के विरूद्ध दिनांक–31.10.2011 को गठित आरोप पत्र में शिक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमितता का आरोप है। आरोप का विवरण निम्नवत् है :–

कोशी प्रमंडलीय स्थापना समिति, सहरसा के अध्यक्ष के रूप में विभागीय पत्रांक–1503 दिनांक 18.05.2009 तथा अधिसूचना सं.–1410 दिनांक 05.08.2006 एवं अधिसूचना सं0–1409 दिनांक 05.08.2006 में दिये गये प्रावधानों एवं दिशा–निर्देशों की अवहेलना एवं उल्लंघन तथा अनदेखी करते हुये दिनांक 05.08.2006 से 30.06.2010 तक सहायक शिक्षकों को स्थानांतरित करने में निम्नांकित अनियमितताएँ बरती गई :–

(क) सहायक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पद प्रत्यार्पित कर दिये जाने के बावजूद रिक्ति के विरूद्ध स्थानान्तरण किया गया।

(ख) प्रमंडलीय स्थापना समिति के अनुमोदन के बावजूद श्री शिव कुमार झा एवं श्री भवनाथ झा का स्थानांतरण आदेश निर्गत नहीं किया गया तथा बिना प्रमंडलीय स्थापना समिति के अनुमोदन के 15 शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया।

(ग) 21 ऐसे सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया जो निर्धारित समयावधि को पूरा नहीं करते थे।

(घ) विषय विसंगति के अधीन आनेवाले सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं कर विषय विसंगति को बढ़ावा दिया गया।

(ड) स्थानांतरण हेतु विहित प्रपत्र में दिये जाने वाले आवेदन पत्रों की अनदेखी करना, शिक्षकों द्वारा दिये गये ऐच्छिक विद्यालय विकल्पों को नजर अंदाज करना, वरीयता को नजर अंदाज करना आदि जैसी बरती गई अनियमिताओं के कारण किये गये स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालयों में स्वीकृत बल से अधिक शिक्षकों का पदस्थापन हुआ विषय–विसंगति को बढ़ावा मिला तथा जिला ईकाई से वेतन भुगतान होने से वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा मिला।

4. उक्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1037 दिनांक–31.10.2011 द्वारा श्री महतो से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

5. श्री महतो ने अपना लिखित अभिकथन दिनांक 23.12.2011 द्वारा समर्पित किया जिसमें उनका कहना है कि अधिसूचना संख्या–1410 दिनांक 05.08.2006 एवं अधिसूचना संख्या–1409 दिनांक 05.08.2006 द्वारा उच्च विद्यालयों के शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) स्थानान्तरण हेतु गठित प्रमंडलीय समिति में वे एक सदस्य के रूप में प्रतिभागी थे, फैसला लेने में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोशी प्रमंडल, सहरसा अध्यक्ष महोदय ही अधिकृत थे। पत्रांक 1503 दिनांक 18.05.2009 उनके इस जिला के कार्यकाल जून 2008 के बाद निर्गत है। इनका कहना है कि इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल (कार्यकाल जुलाई 2005 से जून 2008 तक) सह प्रमंडलीय स्थापना समिति सहरसा के सदस्य के रूप में जान बुझकर कोई गलती नहीं की है। यह भी कि वे फरवरी 2009 में सेवानिवृत हो गए हैं।

6. श्री महतो के बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.) के तहत अनुशासनिक कार्रवाई संचालित की गयी तथा श्री रामाशीष महतो के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक–31.10.2011 को निर्गत किया गया।

7. विभागीय संकल्प संख्या–264 दिनांक 21.02.2012 द्वारा श्री के. के. राय, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल का कार्यालय, सहरसा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

8. संचालन पदाधिकारी के पीत पत्र गै.स.प्रे.सं.–85 दिनांक 27.08.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि आरोप पत्र के साथ साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–560 दिनांक 28.04.2011 के साथ जाँच पदाधिकारी श्री अम्बरीश कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–765 दिनांक 22.12.2010 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी स्थानान्तरण प्रत्यार्पित पदों के विरूद्ध किये गये थे, जो विभागीय अधिसूचना सं.–1409 दिनांक 05.08.2006 का खुल्लम–खुला उल्लंघन था। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के रूप में दिनांक–05.07.2005 से 07.07.2008 तक ही पदस्थापित थे, इसके बाद विभागीय पत्रांक–1503 दिनांक 18.05.2009 निर्गत हुआ था। विभागीय अधिसूचना सं. 1409 एवं 1410 दिनांक 05.08.2006 में वर्णित दिशा निर्देश के उल्लंघन के बारे में उनका कहना है कि प्रत्यार्पित पदों को छोड़कर रिक्ति के विरूद्ध स्थानांतरण किया गया था। इनका यह भी कहना है कि विषय विसंगति का कारण केवल प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा किया गया स्थानान्तरण नहीं है बल्कि 1995 से ही निदेशालय स्तर से स्थानान्तरण एवं

समय–समय पर विभागीय निर्णय मुख्य कारण रहे हैं एवं विभागीय पत्रांक–2544 दिनांक 16.08.2006 एवं निदेशालय द्वारा निर्गत कतिपय प्रमंडलीय स्थानान्तरण आदेश रहे हैं। इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रत्यार्पित पदों को छोड़कर रिक्ति के विरूद्ध स्थानान्तरण किया गया था। इस तथ्य का उल्लेख न तो स्थापना समिति की कार्यवाही में किया गया था और न तो स्थानांतरण आदेशों में ही। यह सही है कि आरोप के विवरण में 05.08.2006 से 30.06.2010 तक ही अवधि में बरती गयी अनियमितता का उल्लेख है जबकि आरोपी पदाधिकारियों दिनांक 07.07.2008 तक ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के पद पर कार्यरत थे, परन्तु यह भी सही है कि इस अवधि में भी प्रमण्डलीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण का निर्णय लिया गया और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा द्वारा स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गये। आरोपी कर्मी के कार्यकाल में भी प्रमंडलीय स्थापना समिति द्वारा कुछ निर्णय लिये गये थे जिसके सदस्य के रूप में आरोपी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, इस प्रकार उक्त गलत निर्णयों के लिए इस हद तक आरोपी पदाधिकारी भी दोषी पाये जाते हैं। दिनांक 27.12.2007 की स्थापना समिति की बैठक के कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि कार्यवाही पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद में बिना कारण दर्शाये स्थापना समिति के अध्यक्ष, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने अपनी लिखावट में क्रमांक 4, 13 एवं 14 को छोड़कर अंकित कर दिया। फिर क्रमांक 14 को पदस्थापित करने का आदेश भी दे दिया। बिना समुचित कारण दर्शाये कार्यवाही में छेड़छाड़ करना संदेह को जन्म देता है। यदि कोई समुचित कारण था तो इसे समिति की अगली बैठक में रखा जाना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी करने का कोई औचित्य नहीं था। इसके लिए मुख्य रूप से दोषी तो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ही हैं, परन्तु समिति के अन्य सदस्यों को भी इसे देखना चाहिए था। यदि क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ने अपने निजी स्वार्थ में ऐसा किया तो आगामी बैठक में अन्य सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिए था। आखिरकार यह परंपरा है कि हर बैठक में पूर्व की बैठकों में लिए गये निर्णयों की सम्पुष्टि पर विचार किया जाता है। अगली बैठक में किसी भी सदस्य द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। इस स्थिति में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा किये गये गलत कार्यों पर अन्य सदस्यों की मौन स्वीकृति मानी जायेगी। इस हद तक आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित होता है। 15 शिक्षकों का स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जाने के बारे में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वे न तो इनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत था और न तो इनकी जानकारी में ही था। इन पन्द्रह शिक्षकों में से तीन शिक्षकों का स्थानांतरण का निर्णय स्थापना समिति की बैठक दिनांक–21.12.2006 में लिए गये निर्णय के आलोक में हुआ एवं 11 के सम्बन्ध में निर्णय 18.12.2009 की बैठक में लिया गया। निश्चित रूप से आरोपी कर्मी 18.12.2009 को कार्यरत नहीं थे परन्तु 21.12.2006 की बैठक के समय में कार्यरत थे और बैठक की कार्यवाही पर इनका हस्ताक्षर भी है। निगरानी ब्यूरो के जाँच प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि अनियमितताओं के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुख्य रूप से दोषी है, परन्तु आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल में दिनांक– 21.12.2006 को स्थापना समिति में लिए गये निर्णय के लिए इनकी भी जबावदेही बनती है और इस हद तक ये दोषी पाये जाते हैं। यह पाया गया है कि इनके कार्यकाल में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरणों में स्थापना समिति के सदस्य के रूप में आरोपी पदाधिकारी ने हस्ताक्षर किए तथा अनुमोदन किए। भले ही इनके स्थानांतरण के बाद कुछ मामलों में इनका

अनुमोदन नहीं है. अन्ततः यह प्रमाणित पाया जाता है कि नियम विरूद्ध कुछ निर्णयों में इनकी भागीदारी रही है जिसका विरोध इन्होंने नहीं किया जिसके लिए ये भी दोषी पाये जाते हैं। विषय विसंगति के अधीन आने वाले सहायक शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया था। निगरानी विभाग के प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न साक्ष्यों एवं मास्टर चार्ट से यह प्रमाणित पाया जाता है कि स्थापना समिति द्वारा लिए गये निर्णयों एवं तदनुसार किये गये स्थानान्तरणों से विषय विसंगति को बढ़ावा मिला। आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल में स्थापना समिति द्वारा लिए गये गलत निर्णयों के लिए ये जवाबदेह हैं। आरोपी पदाधिकारी ने अपने लिखित बयान में इनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अन्तर्गत चलायी जा रही इस विभागीय कार्यवाही को प्रारम्भ करने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में निगरानी विभाग द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–003/12 दिनांक 09.01.12 दर्ज किया जा चुका है जिसमें आरोपी पदाधिकारी श्री रामाशीष महतो, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को भी अभियुक्त बनाया गया है। इसलिए इस कांड के फलाफल के आधार पर ही आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अंतिम निर्णय लिया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

9. प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–1112 दिनांक 28.09.2012 द्वारा श्री महतो से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

10. श्री रामाशीष महतो ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 09.11.2012 द्वारा अपना लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया। श्री महतो का कहना है कि निर्गत आरोप मुख्यतः कोसी प्रमंडलीय स्थापना समिति के अध्यक्ष के विरूद्ध है। अधिकांश आरोप ऐसे भी हैं, जो सुपौल में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में उनके पदस्थापन एवं कार्यावधि (जुलाई 2005 से 07 जुलाई 2008 तक) के बाद के हैं और संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कई तथ्यों की अनदेखी की गयी है। जो भी आरोप हैं वे केवल समिति सदस्य के रूप में और वे भी निराधार हैं। इनका कहना है कि वे एक सेवानिवृत अधिकारी हैं और 21.02.2012 से 04 वर्ष पूर्व घटित घटना के विरूद्ध उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है।

11. श्री महतो के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं.–03/2012 में अद्यतन स्थिति के संबंध में पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–1352 दिनांक 02.06.2014 द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी थाना कांड सं.–003/2012 के अभियुक्त श्री रामाशीष महतो के विरूद्ध कांड अभी अनुसंधानान्तर्गत है। पुनः अंतिम विभागीय पत्रांक–100768 दिनांक 27.08.2024 द्वारा पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राथमिक अभियुक्त श्री महतो के विरूद्ध दर्ज थाना कांड सं.–003/2012 दिनांक 09.01.2012 की अद्यतन स्थिति के संबंध में अवगत कराने का अनुरोध किया गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है।

12. अनुशासनिक कार्यवाही में आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के आलोक में शास्ति अधिरोपण के पूर्व इस कार्यवाही के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु कि यह कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत कालबाधित है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई।

13. बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत कार्यवाही उन्हीं मामलों में की जा सकती है जिनमें आरोप की वास्तविक घटना 4 वर्षों से ज्यादा पुरानी नहीं हो। माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या–12943/09 उर्मिला शर्मा

बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 10.05.2010 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गई है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43 (बी) के अंतर्गत चार वर्षो की घटना, घटना की तिथि से होगी न कि घटना की जानकारी की तिथि से। कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से 4 वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1893 दिनांक–14.06.2011 द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश भी परिचारित है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 के संबंध में यह स्पष्टीकरण है कि विभागीय कार्यवाही उस समय संचालित समझी जाएगी जब पेंशनभोगी सेवक के विरूद्ध आरोपित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो या उसे पूर्व की तिथि से उस तिथि को निलंबित कर दिया गया हो।

14. आलोच्य अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में मुख्य घटना काल–क्रम निम्नवत् पाया गया है–

a) अधिरोपित आरोप वर्ष–2006 से 2010 की अवधि के हैं।
b) इस आरोप अवधि में जिन आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही हुई है और आरोप प्रमाणित भी हुए हैं, वे स्थापना समिति की दिनांक–21.12.2006 एवं दिनांक–27.12.2007 की बैठक में लिए गए निर्णय/कार्रवाई से संबंधित हैं।
c) आरोपित पदाधिकारी श्री रामाशीष महतो दिनांक 28.02.2009 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।
d) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी.) के तहत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए श्री रामाशीष महतो के विरूद्ध आरोप पत्र विभागीय पत्रांक–1037 दिनांक–31.10. 2011 द्वारा निर्गत है।
e) विभागीय संकल्प संख्या–264 दिनांक 21.02.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री के. के. राय, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल का कार्यालय, सहरसा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
f) श्री महतो कोविभागीय पत्रांक–1959 दिनांक 30.11.2009 द्वारा पूर्ण पेंशन, पत्रांक–183 दिनांक 27.07.2010 द्वारा पूर्ण उपादान एवं पत्रांक–164 दिनांक 25.01.2010 द्वारा उपार्जित अवकाश के सम्तुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त है।

15. उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि वर्णित आरोपों में 27.12.2007 तक के आरोप में आरोपित पदाधिकारी को सम्मिलित एवं जांच में इसे प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार 27.12.2011 (आरोप की वास्तविक घटना से 4 वर्षो की अधिकतम अवधि) तक अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दिए जाने की स्थिति में कार्यवाही कालबाधित नहीं मानी जा सकती है। विदित है कि श्री महतो पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए दिनांक–31.10.2011 को आरोप पत्र निर्गत किया गया है, इस आधार पर प्रस्तुत अनुशासनिक कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत कालबाधित की श्रेणी में नहीं आता है।

16. जांच प्रतिवेदन में दिनांक 21.12.2006 एवं दिनांक 27.12.2007 की स्थापना समिति के निर्णयों के लिए आरोपी पदाधिकारी को दोषी पाया गया है तथा इनपर आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में यह भी वर्णित है कि इस मामले में निगरानी

विभाग द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–003/12 दिनांक 09.01.12 दर्ज किया जा चुका है जिसमें आरोपी पदाधिकारी श्री रामाशीष महतो, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल को भी अभियुक्त बनाया गया है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी का लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी श्री श्याम नारायण कुंवर, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा संप्रति–सेवानिवृत्त को विभागीय ज्ञापांक–272 दिनांक–24.02.2016 द्वारा उनके पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती का दण्ड संसूचित किया गया है।

17. श्री रामाशीष महतो के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत "पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत राशि की कटौती" की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

18. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–411 दिनांक–11.05.2026 द्वारा श्री रामाशीष महतो, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति संसूचित की गई है।

19. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रामाशीष महतो, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल संप्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"पेंशन से 05 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत राशि की कटौती"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–90/2011...1/417680....../ पटना, दिनांकः–15.05.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा.शि.)/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री

रामाशीष महतो, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल संप्रति सेवानिवृत्त पता–ग्राम–मोहनपुर, पोस्ट–बोरिया भाया नरहन, जिला–समस्तीपुर, पिन–808211 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 15-05-2026 14:24:55

निदेशक (प्रशासन)।